प्र० [illegible] । तहकीकात [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/11/21	पत्रावली पेश हुई [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible], [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] 23/11/21 को पेश हो। [signature]	
8/11/21	प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर आज पत्रावली पेश हुई। तहकीकात [illegible] की रिपोर्ट [illegible] हुई जो शामिल पत्रावली की गई। वकील प्रार्थी के जवाब की जरूरत [illegible]। [illegible] [illegible] की [illegible] गयी। [illegible] खारिज किया जाता है [illegible] [illegible] के प्रकाश में लेते हुए शामिल पत्रावली किया जाता। [illegible] रजिस्टर से दर्ज किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर
व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 6/19

प्रेमचन्द पुत्र भुल्ली जाति जाटव निवासी नौगांवा तहसील कामां जिला भरतपुर

बनाम

तहसीलदार कामां

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांकः 8.01.2021

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत पेश किया कि प्रार्थी के माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात प्रार्थी एवं प्रार्थी की बहिन निरमा व सुशीला के नाम विरासत का नामान्तकरण दर्ज हो जाने के पश्चात प्राथी की बहिन सुशीला एवं निरमा ने प्रार्थी के हक में दिनांक 17.11.2015 में उपपंजीयक जुरहरा उप तहसील जुरहरा के समक्ष अपना हक त्याग प्रार्थी के पक्ष में रजिस्टर्ड करा दिया जिसके आधार पर जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम इन्दाज दर्ज हो गया नकल जमाबन्दी सलग्न की है । प्रार्थी की बहिन निरमा का जमाबन्दी सं0 2067 व 2070 में निरमा के स्थान पर प्रेमवती अंकत हो गया जो कतई गलत कानूनन ग्रम दर्ज हो गया है । जबकि प्रार्थी की बहिन का नाम प्रेमवती नहीं है प्रार्थी की बहिन का नाम निरमा है । प्रार्थी की बहिन का नाम निरमा है प्रार्थी की बहिन का नाम प्रेमवती नहीं है प्रार्थी की बहिन का नाम निरमा है । प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी 2067लगा0 2070 अंकित इन्द्राज एवं हक त्याग से स्पष्ट साबित है प्रार्थी जमाबन्दी सं0 2067 लगा0 2070 में बहिन निरमा के स्थान पर प्रेमवती अंकित होने से उत्पीडित है प्रार्थी जमाबन्दी सं0 2067 लगा02070 प्रेमवती के स्थान पर निरमा दर्ज करा पाने का कानून अधिकारी है ।

प्रेमवती पुत्री धनसिंह की है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रेमवती भुल्ली की दर्ज कर दी है । जबकि भुल्ली की लडकी का नाम निरमा है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रेमवती के स्थान पर निरमा संशोधित कराये जाने के आदेश फरमाये जावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायल तहसीलदार कामां ने रिपोर्ट पेश की कि प्रार्थी का नामान्तकरण संख्या 1977 के अनुसार प्रेमचन्द पुत्र भुल्ली सुशीला प्रेमवती पुत्रीयान भुल्ली स्वीकार हुई है । लेखन सम्बन्धी गलती नहीं है । नामान्तकरण संख्या 2484 भुल्ली की विरासत में सुशीला व निरमा पुत्रीया बताई गई है व चन्द्रवती पत्नि भुल्ली की विरासत का नामान्तकरण संख्या 1977 में निरमा के बजाय प्रेमवती लिखा हुआ है । प्रार्थी इस खाते में प्रेमवती के स्थान पर निरमा कराना चाहता है । जो नियमानुसार गलत है । क्योंकि नामान्तकरण में तस्दीक हुए नामान्तकरण की शुद्धि के लिए नामान्तकरण की अपील किये जाने का प्रावधान है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का मनन किया । प्रार्थीया का नाम नामान्तकरण में निरमा के बजाय प्रेमवती लिखा हुआ है । प्रार्थी के खाते में प्रेमवती के स्थान पर निरमा कराना चाहता है । जो नियमानुसार गलत है । क्योंकि नामान्तकरण में तस्दीक हुए नामान्तकरण की शुद्धि के लिए नामान्तकरण की अपील किये जाने का प्रावधान है । जो लिपिकीय भूल नहीं है । जो धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

अन्तर्गत नहीं आता है । अतः प्रार्थीया का नाम प्रेमवती के स्थान पर निरमा नहीं किया जा सकता हैं । प्रार्थाना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है ।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का खारिज किया जाता है । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner